

10

विवरणियाँ [RETURNS]


संक्षिप्तता हेतु निविष्ट कर जमा शब्द को इस अध्याय में ITC के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में निर्दिष्ट धारा संख्याएँ CGST अधिनियम से सम्बन्धित हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

यह अध्याय आपको निम्न में समर्थ बनाएगा :

- ❑ एक पंजीकृत करदाता द्वारा जमा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विवरणों एवं विवरणी का सूचीकरण।
- ❑ विभिन्न विवरणों/विवरणी को जमा करने के योग्य व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनके लिए निर्दिष्ट प्रपत्रों का अभिज्ञान एवं इस प्रकार के विवरणों/विवरणी को जमा करने हेतु आवश्यकता स्पष्ट करना।
- ❑ विवरणी जमा करने में चूक की स्थिति में परिणामों को समझना।
- ❑ समस्या का समाधान करने में उपर्युक्त अवधारणाओं का प्रयोग।
- ❑ GST पेशेवर से सम्बन्धित प्रावधानों का स्पष्टीकरण।

अध्याय अवलोकन



1. परिचय (Introduction)

“विवरणी” शब्द का सामान्य रूप से आशय कर दाता द्वारा कर प्रशासकों को नियमित अन्तरालों पर जमा किये गए सूचना (तथ्यों) के विवरण से होता है। विवरणी में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में सामान्यतः कराधान के विषय-वस्तु को बनाने वाले व्यावसायिक संचालनों/गतिविधियों की प्रकृति, कराधान के मूल्यांकन जैसे कि विक्रय मूल्य, कुल बिक्री या कीमत कटौतियाँ एवं छूटों एवं एक दी हुई अवधि हेतु कर दायित्व के निर्धारण व चुकौती से सम्बन्धित विवरण शामिल होते हैं।

किसी भी कर अधिनियम में, “विवरणियों का जमा करना” सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्यप्रणाली को संगठित करता है, जो सरकार/कर प्रशासकों को एक विशिष्ट अवधि हेतु कर संग्रहण का अनुमान लगाने एवं करदाताओं के कर अनुपालन की शुद्धता एवं पूर्णता को निर्धारित करने के योग्य बनाता है।

विवरणियाँ निम्न उद्देश्यों हेतु पूर्ति करता है :

- कर प्रशासन को सूचना के हस्तांतरण की विधि
- कर प्रशासन का अनुपालन प्रमाणीकरण कार्यक्रम,
- परिसीमा की नियत अवधि के अन्तर्गत करदाताओं के कर दायित्वों का निश्चयीकरण,
- नीति निर्णय, लेने हेतु आवश्यक निविष्टियाँ प्रदान करना
- अंकेक्षण एवं कर प्रशासन के करवंचनरोधी कार्यक्रमों का प्रबन्धन

करदाता को सामान्यतः विवरणी को एक विशिष्ट वैधानिक प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसलिए ये प्रारूप अधिनियम के उन सभी प्रावधानों की देखभाल करने हेतु रूपांकित किये जाते हैं जिनका एक करदाता के कर दायित्व की गणना से सम्बन्ध होता है। इसलिए कर अधिनियम के यथोचित समरूपी प्रावधानों की तुलना में विवरणी के फार्म में शामिल विभिन्न क्षेत्रों का एक अध्ययन कर अधिनियम की सम्पूर्ण समझ की सुविधा एक बेहतर विधि से प्रदान कर सकता है।



GST विवरणियों का जमा करना विवरणी जमाकर्ता के कर दायित्व के निर्धारण में सहायक होता है एवं उसी समय पर उन अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण से भी इसका बड़ा सम्बन्ध होता है, जिनके साथ पहले व्यक्ति ने कर योग्य गतिविधियों में प्रवेश किया है।

GST नियमों के अन्तर्गत विवरणियों शुद्ध एवं सामयिक जमा करना दो कारणों के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रथम, GST नियमों के अन्तर्गत, एक करदाता को "स्वयं-निर्धारण" आधार पर अपने कर दायित्व का अनुमान लगाना आवश्यक होता है एवं इस प्रकार के विवरणी को जमा करने के साथ। पूर्व कर की राशि को जमा करना आवश्यक होता है। इसलिए, विवरणी में कर प्राधिकारियों हेतु कार्यकारी कागज/पुष्टिकारक दस्तावेज का एक प्रकार संगठित होता है, जिस पर उस आधार के रूप में भरोसा किया जा सकता है जिस पर करदाता द्वारा कर की गणना की गयी हो। द्वितीय GST प्रशासन के अन्तर्गत विवरणियों का जमा करना न सिर्फ जमा करने वाले व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण से भी इसका बड़ा सम्बन्ध होता है जिनके साथ पहले व्यक्ति ने कर योग्य गतिविधियों में प्रवेश किया है।



GST अधिनियम का अध्याय IX [धाराएँ 37 से 48] विवरणियों को जमा करने से सम्बन्धित प्रावधानों को निम्न प्रकार निर्दिष्ट करता है :

धारा 37	जावक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करना
धारा 38	आवक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करना
धारा 39	विवरणियों को प्रस्तुत करना
धारा 40	प्रथम विवरणी
धारा 41	इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे एवं उनकी अस्थायी स्वीकृति
धारा 42	इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान, उलटाव एवं पुनःदावा
धारा 43	निर्गम कर दायित्व में कमी का मिलान उलटाव एवं पुनःदावा
धारा 44	वार्षिक विवरणी
धारा 45	अन्तिम विवरणी
धारा 46	विवरणी चूककर्ताओं को चेतावनी
धारा 47	विलम्ब शुल्क लगाना
धारा 48	माल एवं सेवा कर पेशेवर

प्रारूप एवं विधि से सम्बन्धित प्रावधान जिनमें सूचना विवरणियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, (GST नियमों के अध्याय VIII के अन्तर्गत दिये गए हैं (नियम 59-84) राज्य GST नियम भी विवरणियों के जमा करने के सम्बन्ध में समान प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

CGST अधिनियम के अन्तर्गत, विलम्ब शुल्क के अलावा, विवरणियों के प्रावधान IGST अधिनियम की धारा 20 द्वारा IGST अधिनियम पर भी लागू किये गए हैं।

हालाँकि, विवरण जमा करने की विधि अभी निरीक्षण में है तथा अभी पूर्ण नहीं हुई है। GST लगने के शुरुआती महीनों में व्यापारों द्वारा विवरणियाँ आसानी से जमा करने हेतु जुलाई 2017 में, सरल किया हुआ मासिक विवरण फॉर्म GSTR 3बी लागू हुआ। यह GSTR-

1, 2 तथा 3 की विवरणियाँ जमा करने के साथ अनुसरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं की अनुपालन आवश्यकताएँ (compliance requirements) आसान करने के लिए GST समिति ने ₹ 1.5 करोड़ तक की वार्षिक कुल बिक्री के करदाताओं को अपनी बाहरी आपूर्तियों की जानकारीयों त्रैमासिक (quarterly) आधार पर तथा ₹ 1.5 करोड़ से ज्यादा कुल वार्षिक बिक्री के करदाताओं को मासिक आधार पर फॉर्म GSTR-1 में जमा करने की अनुमति दी है। GST समिति ने बिक्री को ध्यान में न रखते हुए, साधारण करदाताओं के लिए फॉर्म GSTR-2 (भीतरी आपूर्तियों की जानकारीयों) तथा GSTR-3 (मासिक विवरण) की जमा तिथि को स्थगित करने के लिए अनुशंसित (recommended) किया है जब तक इससे सम्बन्धित कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं होती।

विवरण विधि अभी तक सुव्यवस्थित नहीं हुई है तथा GST समिति ने GSTR-3बी जमा करने की माँग मार्च 2019 के अंत तक बढ़ा दी है। अंततः, इस अध्याय के आगामी पृष्ठों में वही धाराओं के प्रावधान बताए गए हैं जो वास्तव में प्रभावी हैं।

विवरण विधि को आसान करने से सम्बन्धित 21 जुलाई, 2018 को GST समिति की 28वीं बैठक में लिए हुए निर्णय पर आधारित CBIC ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. छोटे करदाताओं तथा कुछ व्यक्ति को छोड़कर जैसे ISD सभी करदाता एक मासिक विवरण जमा करेंगे। विवरण दो मुख्य सूचियों के साथ आसान की गई है। एक सूची बाहरी आपूर्तियों की सूचना देगी तथा दूसरी सूची आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए चालान पर आधारित इनपुट कर जमा के लाभ की। चालान विक्रेता द्वारा लगातार डाले जा सकते हैं तथा क्रेता द्वारा लगातार देखे तथा बंद करे जा सकते हैं इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त करने के लिए। यह विधि निश्चित करती है कि विवरण का बड़ा हिस्सा क्रेता तथा विक्रेता द्वारा डाले गए चालान के आधार पर स्वतः भर जाता है। सीधे शब्दों में कहें, अधिकतर करदाताओं के लिए विधि "UPLOAD – LOCK – PAY" है।
2. की गई आपूर्ति तथा प्राप्त हुई आपूर्ति की प्रकृति के अनुसार करदाताओं को अपनी रूपरेखा (profile) बनाने की सुविधा दी गई है। विवरण को जमा करने के लिए जो जानकारीयों करदाता को दिखानी हैं तथा उसके द्वारा भरी जानी है वह उसकी रूपरेखा पर निर्भर होगी।
3. NIL विवरण श्रेणी (न खरीद तथा न बिक्री) वालों को SMS द्वारा विवरण जमा करने की सुविधा दी गई है।
4. जिन करदाताओं की सालाना बिक्री ₹ 5 करोड़ से कम है उन्हें समिति द्वारा त्रैमासिक (quarterly) विवरण जमा करने ऐच्छिक सुविधा प्रदान की गई है। मासिक भुगतान सुविधा के साथ त्रैमासिक विवरण भी मुख्य विवरण के समान है परन्तु पंजीकृत छोटे व्यापारी जो सिर्फ B2C आपूर्ति कर रहे हैं या वह जो B2C तथा B2C आपूर्ति कर रहे हैं उन करदाताओं के लिए, सरल विवरणियाँ बनाई गई हैं 'सहज' (Sahaj) तथा 'सुगम' (Sugam) के नाम से। इन विवरणियों में सामान्य विवरणी की अपेक्षा कम जानकारी आवश्यक है।
5. नए विवरण का प्रारूप चालान तथा विवरण में दी गई अन्य जानकारीयों में संशोधन करने की सुविधा प्रदान करता है। संशोधन करके जमा किए गए विवरण को संशोधन विवरण

(Amendment return) कहा जाता है। संशोधन विवरण द्वारा भुगतान की अनुमति दी गई है क्योंकि यह करदाताओं का ब्याज ऋण से बचाव करता है।¹

हालाँकि, अभी तक (as on date)², प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित नए सरल विवरण विधि (simplified return process) को लागू नहीं किया गया है। अतः इस अध्याय में उन्हीं प्रावधानों का विवरण किया गया है जो अभी लागू हैं। वह संशोधन जो विधि को लाने के लिए कानून में किए जाएंगे वे जारी होने पर वैधानिक सुधार में दिए जाएंगे।

GST नियमों के अन्तर्गत सभी विवरणियाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा की जाती हैं।

करदाता विभिन्न विधियों द्वारा विवरणों एवं विवरणियों को जमा कर सकते हैं। प्रथम रूप से वे अपने विवरण एवं विवरणियाँ प्रत्यक्ष रूप से GST सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन जमाकर सकते हैं। हालाँकि, यह अधिक संख्या के बीजकों वाले करदाताओं हेतु मन्द या समय लेने वाला हो सकता है। इस प्रकार के करदाताओं हेतु GSTN द्वारा ऑफलाइन सेवाएँ प्रदान की गई हैं जो सामान्य पोर्टल पर स्वयं संगठित विवरण अधोभारण एवं उम्भारण करने के पश्चात ऑफलाइन विवरणों को तैयार करने हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। GSTN ने GST सुविधा प्रदान करने वाला (GSP) एक परितंत्र भी विकसित किया है, जो सामान्य पोर्टल के साथ संघटित होगा।

क्या आप जानते हैं?



GSP-GST सुविधा प्रदान करने वाला

- यह तृतीय पक्ष सेवा प्रदान करने का एवं परितंत्र है, जिसकी GST प्रणाली तक पहुँच है, जो करदाताओं को GST अनुपालन में सहायता कर सकता है।
- GSP विवरणों जमा करने क्रय पंजिका आँकड़े का रवीकृति/नामजूसी परिवर्तन हेतु स्वयं-संगठित आँकड़े के साथ समन्वयन शीघ्र निगरानी हेतु करदाताओं हेतु नियंत्रणपट्ट हेतु अनुप्रयोग विकसित करेगा।



विवरणियों के प्रारूप में करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गए विवरण सामान्य पोर्टल पर समेकित एवं संगृहीत किये जाएंगे जो दोनों के लिए सामान्य होंगे अर्थात् केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)



- सामान्य पोर्टल—का आशय धारा 146 में उल्लिखित सामान्य माल एवं सेवाकर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से है [धारा 2 (26)]।
- क्रेडिट नोट—का आशय धारा 34 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्गमित किये गए दस्तावेज से है [धारा 2 (37)]

¹ प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य पूर्णतः विद्यार्थियों को प्रस्तावित विधि से अवगत कराना है।

² वह तारीख जिस दिन अध्ययन सामग्री छपाई के लिए प्रकाशित की गई हो।

- **डेबिट नोट**—का आशय धारा 34 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्गमित एक दस्तावेज से है [धारा 2 (38)]
- **इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता**—का आशय धारा 49 की उप-धारा (1) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से है। [धारा 2 (43)]
- **इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता**—का आशय धारा 49 की उप-धारा (2) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते से है। [धारा 2 (46)]
- **करमुक्त आपूर्ति छूट**—का आशय किन्हीं माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से है, जो कर की शून्य दर को आकर्षित करती है या जो धारा 11 के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो सकती है या संकलित माल व सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो सकती है, एवं गैर-कर योग्य आपूर्ति शामिल होती है [धारा 2 (47)]।
- **माल एवं सेवा कर पेशेवर** का आशय किसी व्यक्ति से है जो धारा 48 के अन्तर्गत इस प्रकार के पेशेवर के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृत हो [धारा 2 (55)]।
- **चालान या कर चालान**—का आशय धारा 31 में परिभाषित कर चालान से है [धारा 66]।
- **आवक आपूर्ति** का एक व्यक्ति के सम्बन्ध में माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से आशय होगा चाहे क्रय द्वारा, अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से प्रतिफल सहित या रहित [धारा 2(67)]।
- **अनिवासी करयोग्य व्यक्ति**—का आशय किसी व्यक्ति से है जो कभी-कभी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को शामिल किये हुए सौदों को प्रारम्भ करता है चाहे एक मुख्य व्यक्ति या अभिकर्ता या किसी अन्य योग्यता में लेकिन जिसका भारत में व्यवसाय या निवास का कोई निर्धारित स्थान न हो [धारा 2 (77)]।
- **जावक आपूर्ति**—का एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से आशय है, चाहे विक्रय, हस्तांतरण प्रतिदान, विनियम अनुज्ञापत्र, किराया, पट्टा या समापन या किसी अन्य विधि से हो, इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को कार्य प्रणाली में या प्रोत्साहन में किया गया या किये जाने हेतु सहमत [धारा 2(83)]।
- **निर्दिष्ट**—का आशय परिषद् की अनुशंसाओं पर इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट से होता है। [धारा 2 (87)]
- **उचित अफसर**—का इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में, केन्द्रीय कर के कमिश्नर या अफसर से आशय होता है, जिसे वह कार्य मण्डल में कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। [धारा 2(91)]।
- **तिमाही**—का आशय एक पंचांग वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर के अन्तिम दिन पर समाप्त होने वाले तीन क्रमागत पंचांग महीनों को समाविष्ट किये हुए एक अवधि से होगा [धारा 2(92)]।
- **प्राप्तकर्ता**—माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रापक का आशय है—

- जहाँ एक प्रतिफल माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु देय होता है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल के भुगतान हेतु उत्तरदायी होता है,
 - जहाँ माल की आपूर्ति हेतु कोई प्रतिफल देय नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जिसे माल का वितरण किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसे माल के प्रयोग का आधिपत्य दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, एवं
 - जहाँ एक सेवा की आपूर्ति हेतु कोई प्रतिफल देय नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जिसे सेवा सम्पादित की जाती है एवं उस व्यक्ति का कोई सन्दर्भ जिसे आपूर्ति की गई है, आपूर्ति के प्रापक के एक सन्दर्भ के रूप में समझा जाएगा एवं उसमें एक अभिकर्ता शामिल होगा जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रापक की ओर से इस प्रकार कार्य करेगा [धारा 2 (93)]।
- **पंजीकृत व्यक्ति**—का आशय एक व्यक्ति से होता है, जो धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत होता है, लेकिन एक विशिष्ट अभिज्ञान संख्या वाला एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है [धारा 2(94)]।
 - **विवरणी**—का आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत या उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट या अन्यथा प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक किसी विवरणी से होता है [धारा 2 (97)]।
 - **प्रतिलोमी प्रभार**—का आशय संकलित माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत, या धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों के विक्रेता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्ति के प्रापक द्वारा कर भुगतान करने के दायित्व से है [धारा 2 (98)]।
 - **आपूर्तिकर्ता**—का आशय किसी माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में कथित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति से होगा एवं माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार के विक्रेता की ओर से कार्य करने वाला एक अभिकर्ता शामिल होगा [धारा 2 (105)]
 - **कर अवधि**—का आशय उस अवधि से है जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। [धारा 106]
 - **कर योग्य व्यक्ति**—का आशय एक व्यक्ति से है जो धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत हेतु उत्तरदायी होता है [धारा 2 (107)]।
 - **कर योग्य आपूर्ति**—का आशय माल या सेवाओं या दोनों की एक आपूर्ति से होता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर लगाने योग्य होती है [धारा 2 (108)]।
 - **विधिमान्य विवरणी**—का आशय धारा 39 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई एक विवरणी से होता है जिस पर स्वयं-निर्धारित कर सम्पूर्णता में भुगतान किया जाता है [धारा 2 (117)]।

3. जावक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करना [धारा 37 CGST नियमों के नियम 59 के साथ पढ़ें] [Furnishing Details of Outward Supplies (Section 37 Read with Rule 59 of CGST Rules)]


(i) जावक पूर्तियों के विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ?

माल एवं सेवाओं दोनों की जावक पूर्तियों (परिभाषा देखें) के विवरण आकस्मिक पंजीकृत व्यक्ति सहित प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं, निम्न को छोड़कर :

- ❖ निविष्ट सेवा वितरक (ISD)*
- ❖ अनिवासी कराधीन व्यक्ति
- ❖ संघटन योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने वाला व्यक्ति
- ❖ स्रोत पर कर कटौती करने वाला व्यक्ति*
- ❖ स्रोत पर कर संगृहीत करने वाला व्यक्ति अर्थात् ई-वाणिज्य संचालक (Eco) एक अभिकर्ता नहीं**
- ❖ ऑनलाइन सूचना एवं आँकड़ा संचय पहुँच या क्षतिपूर्ति सेवाओं का एक पूर्तिकर्ता (OIDAR) *



*टिप्पणी : एक निविष्ट सेवा वितरक, स्रोत पर कर कटौती करने वाला एक व्यक्ति, स्रोत पर कर संगृहीत करने वाले एक व्यक्ति एवं ऑनलाइन सूचना एवं आँकड़ा संचय पहुँच या क्षतिपूर्ति सेवाओं (OIDAR) के एक पूर्तिकर्ता द्वारा विवरणियों के जमा करने हेतु प्रावधान फाइनल स्तर पर चर्चित होंगे।



(ii) जावक पूर्तियों के विवरण के जमा हेतु क्या प्रारूप है?

जावक पूर्तियों के विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म GSTR-1 में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं। इस प्रकार के विवरण या तो प्रत्यक्ष रूप से या एक अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(iii) GSTR-1 के जमा करने की देय तिथि क्या है?

एक विशिष्ट महीने हेतु GSTR-1 तत्काल उत्तरगामी महीने के 10वें दिन पर या उससे पूर्व जमा की जाती है। अन्य शब्दों में, एक महीने की GSTR-1 उत्तरगामी महीने के 1वें एवं

10वें दिन के मध्य किसी भी समय जमा की जा सकती है। यह ध्यान देना होगा कि GSTR-1 कर अवधि के उत्तरगामी महीने के 11वें दिन से 15वें दिन की अवधि के दौरान जमा नहीं की जा सकती।



अक्टूबर माह से सम्बन्धित बाहरी आपूर्ति का रिटर्न 10 नवम्बर को या उसमें पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और अक्टूबर के लिए GSTR-1 को 11 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच दाखिल नहीं किया जा सकता है।

छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन की आवश्यकता को आसान बनाने के उपाय के रूप में, जीएसटीआर -1 को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्त वर्ष में ₹ 1.5 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार के साथ छोटे करदाताओं द्वारा त्रैमासिक रूप से दायर करने की अनुमति दी गई है। अब तक यह सुविधा तिमाही जुलाई-सितम्बर 2019 तक दी गई है। ₹ 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले करदाताओं को मासिक आधार पर जीएसटीआर-1 दाखिल करना जारी रहेगा। [अधिसूचना 57 और 58/2017 सीटी दिनांक 15.11.2017, 71 और 72/2017 सीटी दिनांक 29.12.2017, 17 और 18/2018 सीटी दिनांक 28.3.2018, 32 और 33/2018 सीटी दिनांक 10.8.2018, 11 और 12/2019 सीटी दिनांक 7.3.2019, 27 और 28/2019 सीटी दिनांक 28.6.2019]

GSTR-1 दाखिल करने की देय तिथि कमिश्नर/IGST के कमिश्नर/UTGST के कमिश्नर द्वारा कर योग्य व्यक्तियों की एक श्रेणी हेतु एक अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है।




एक करदाता वर्तमान कर अवधि की समाप्ति से पूर्व GSTR-1 जमा नहीं कर सकता।

हालाँकि, इस नियम के निम्न अपवाद हैं :

- (a) अनियमित करदाता, उनके व्यवसाय की समाप्ति के पश्चात्
- (b) एक सामान्य करदाता के GSTIN का निस्तारण

एक करदाता जिसने पंजीकरण के निस्तारण हेतु आवेदन किया है, उसे आवेदन पत्र की प्राप्ति के पुष्टीकरण के पश्चात् GSTR-1 जमा करने हेतु अनुमति दी जाएगी।

(iv) GSTR-1 की विषय वस्तु क्या है?



GST गंतव्य आधारित उपभोग कर है इसलिए कर आय को उस राज्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो विशिष्ट सौदे की आपूर्ति³ का स्थान हो। क्योंकि, कर आय में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करने हेतु आपूर्ति का स्थान कठिन होता है, GSTR-1 लगभग सभी सारणियों में आपूर्ति के स्थान से सम्बन्धित सूचना भी अधिकृत करती है।

(v) **What kind of details of outward supplies are required to be furnished in GSTR-1?**

पंजीकृत व्यक्ति को चालानों के विवरण एवं एक महीने के दौरान पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यक्तियों को उसके द्वारा की गई पूर्तियों के सम्बन्ध में निर्गमित संशोधित चालान एवं GSTR-1 में जमा पत्रों एवं नामे पत्रों के विवरण निम्न विधि से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है :

क्र.सं.	चालान प्रकार में सभी के विवरण	सभी के समेकित विवरण	नामे एवं जमा पत्र
(i)	पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतरिक पूर्तियाँ	कर की प्रत्येक दर हेतु अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई राज्यांतरिक पूर्तियाँ	पूर्व में निर्गमित चालानों हेतु महीने के दौरान निर्गमित
(ii)	₹ 2,50,000 से अधिक चालान कीमत वाले अपंजीकृत व्यक्तियों	प्रत्येक राज्य हेतु पृथक रूप से कर की प्रत्येक दर हेतु ₹ 2,50,000 तक की	

³ Principles determining the place of supply of goods and place of supply of services are contained in sections 10 and 12 of IGST Act. These will be discussed at the Final Level.

को की गई अंतर्राज्यीय पूर्तियाँ	चालान कीमत वाले अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय पूर्तियाँ
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि चालानों का उद्धारण इस पर निर्भर करता है कि क्या आपूर्ति B2B या B2C है, साथ ही क्या आपूर्ति राज्यांतरिक है या अंतर्राज्यीय।



B2B का आशय व्यवसाय का व्यवसाय से लेन-देन का है। इस प्रकार के लेन-देनों में, प्रापक भी एक पंजीकृत विक्रेता होता है और इसलिए, ITC लेता है।

B2C का आशय व्यवसाय का ग्राहक से लेन-देन का है। इस प्रकार के लेन-देनों में प्रापक ग्राहक या अपंजीकृत होता है और इसलिए ITC नहीं लेगा या नहीं ले सकता है।

B2B आपूर्तियों हेतु, सभी चालानों का उद्धारण करना होगा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वे अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ हैं या राज्यांतरिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रापक ITC लेगा एवं इसलिए, चालान मिलान करना आवश्यक होता है। B2C आपूर्तियों हेतु, सामान्य में उद्धारण आवश्यक नहीं होगा क्योंकि क्रेता ITC नहीं ले रहा होगा। हालाँकि, फिर भी गंतव्य आधारित सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु अंतर्राज्यीय B2C आपूर्तियों में ₹ 2.5 लाख से अधिक कीमत के चालान उद्धारण करने होंगे। ₹ 2.5 लाख से नीचे के अंतर्राज्यीय चालानों हेतु, राज्य-प्रकार में सारांश पर्याप्त होंगे तथा सभी चालानों हेतु सिर्फ समेकित विवरण राज्यांतरिक दिये जाने होंगे।

चालानों को उद्धारण करने से सम्बन्धित प्रावधान आगामी पेज पर दिए गए एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किये गये हैं।

चालानों को कर अवधि के दौरान किसी भी समय उद्धारण किया जा सकता है तथा न सिर्फ जमा करने के समय।



उदाहरण

अक्टूबर के महीने हेतु, करदाता 1 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक चालानों को उद्धारण कर सकता है। GSTR-1 के विलंबित जमा करने की स्थिति में, चालानों को 15 नवम्बर के पश्चात उद्धारण किया जा सकता है।

चालानों को एक कर अवधि की GSTR-1 के जमा करने के समय तक कितनी भी बार परिवर्तित/विलोपित किया जा सकता है। उद्धारण चालान विवरण एक प्रारूप रूप में होते हैं, जब तक GSTR-1 को जमा किया जाता है तथा देय तिथि पर ध्यान दिए बिना परिवर्तित किए जा सकते हैं।




चालानों की क्रमवीक्षण प्रतियाँ उद्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। चालानों से सिर्फ सूचना के विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्रों का उद्धारण करना आवश्यक होता है जैसे कि चालान संख्या, तिथि, कीमत, कर योग्य कीमत, कर की दर, कर की राशि इत्यादि। यदि

कोई प्रतिफल नहीं होता है, लेकिन गतिविधि CGST अधिनियम की अनुसूची के प्रभाव से एक आपूर्ति होती है, तो करयोग्य कीमत को निर्दिष्टानुसार सम्पन्न करना होगा तथा उद्धारण करना होगा।



चालान में प्रत्येक विषय का वर्णन उद्धारण नहीं होगा। माल की आपूर्ति के संदर्भ में सिर्फ HSN संकेतावली तथा सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में लेखांकन संकेतावली की जाएगी।



HSN विवरणों की सूचना

HSN संकेतावली के अंकों की न्यूनतम संख्या, जो एक जमाकर्ता को उद्धारण करनी होती है, विगत वर्ष में उसकी कुल बिक्री पर निर्भर करती है।

अधिसूचना संख्या 12/2017, CT 28.06.2017, जो इस सम्बन्ध में निर्गमित किया गया है, अग्र प्रकार प्रदान करता है :

पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक कुल बिक्री	HSN संकेतावली के अंकों की संख्या
₹ 1.5 करोड़ तक	शून्य
₹ 1.5 करोड़ से अधिक एवं ₹ 5 करोड़ तक	2
₹ 5 करोड़ से अधिक	4

(vi) आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को GSTR-1 के विवरणों की सूचना

विक्रेता द्वारा एक महीने हेतु प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण सम्बन्धित प्राप्तकर्ता (प्रापकों) को फार्म GSTR-2A फार्म GSTR-4A के भाग A में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराये जाते हैं एवं सूचित किये जाते हैं (संघटित करारोपण को चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति की स्थिति में) उत्तरगामी महीने के 10वें दिन के बाद सामान्य पोर्टल द्वारा (GSTR-1 को जमा करने की देय तिथि)।

(vii) पूर्वावधियों में प्रस्तुत जावक पूर्ति के विवरण कैसे संशोधित होते हैं? [धारा 37 (3)]


(a) संशोधन/सुधार प्रविष्टियों का कार्यक्षेत्र

सारणियाँ 9, 10 एवं 11 (11) पूर्वावधियों में प्रस्तुत कराधीन जावक पूर्तियों के विवरणों में संशोधन हेतु प्रावधान करती है (इसके पश्चात् "संशोधन सारणी" के रूप में उल्लिखित) विक्रेता पूर्वावधियों हेतु उसके द्वारा जमा की गई GSTR-1 में प्रस्तुत विवरणों में संशोधन कर सकता है।

वर्तमान कर अवधि में करदाता द्वारा निर्गमित मूल नामे पत्रों/जमा पत्रों/वापसी रसीदों के विवरणों के साथ ही पूर्व कर अवधियों में निर्गमित नामे पत्रों/जमा पत्रों/वापसी रसीदों में संशोधन GSTR-1 की सारणी 9 में दर्शाना आवश्यक होता है।

साधारण: संशोधन सारणी में विक्रेता को मूल चालान/संख्या एवं तिथि) के विवरण देना आवश्यक होता है। जिसके ब्यौरे पूर्व महीने में GSTR-1 में गलत तरीके से प्रतिष्ठ हुए हैं और अब संशोधित किये जाने हैं। हालाँकि यह हो सकता है कि एक विक्रेता एक विशिष्ट महीने हेतु GSTR-1 प्रस्तुत करते समय सम्पूर्ण मूल चालान को शामिल करना पूर्ण रूप से भूल गया हो।

इस प्रकार की स्थितियों में भी, उसे कथित ना मौजूद चालान के विवरणों को दिखाना आवश्यक होगा, जो पूर्व महीने में सिर्फ संशोधन सारणी में निर्गमित किये गए थे, क्योंकि इस प्रकार की त्रुटियाँ भी आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटि के रूप में मानी जाएँगी।



(b) गलतियों को सुधारना (Rectification of Errors)

यदि आपूर्तिकर्ता कोई गलती या चूक खोजता है तब वह उस कर अवधि (tax period) में, जिसमें वह गलती या चूक देखी गई है उन्हें सुधारेगा तथा यदि उस स्थिति में कोई कम भुगतान हुआ है तब उस कर अवधि का विवरण जमा करते समय कर तथा ब्याज का भुगतान करेगा।



एक आपूर्तिकर्ता को अक्टूबर में अगस्त माह के GSTR-1 में प्रस्तुत एक कर बीजक में गलती का पता चलता है। वह अक्टूबर माह के GSTR-1 में उक्त गलती को सुधार सकता है।

(c) सुधार हेतु समय सीमा

माना कुछ कारण हेतु, विक्रेता अक्टूबर, 2017 के महीने हेतु GSTR-1 कुछ को जमा करने के समय सुधार नहीं कर पाया, तो वह ये सुधार अनुवर्ती अवधियों में कर सकता है। हालाँकि, अधिकतम समय सीमा जिसके अन्तर्गत ये सुधार अनुज्ञेय हैं निम्न तिथियों की शीघ्रातिशीघ्र तिथि होती है :

- ✍ सितम्बर के महीने हेतु धारा 39 के अन्तर्गत मासिक विवरणी जमा करने की तिथि, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जिससे ये विवरण सम्बन्धित हों या
- ✍ उपयुक्त वार्षिक विवरणी को जमा करने की तिथि।



एक उद्यम ने वर्ष (X-Y) हेतु वार्षिक विवरणी 15 अगस्त, (Y-Z) को प्रस्तुत की। नवम्बर, (XY) से सम्बन्धित एक लेन-देन के सन्दर्भ में एक त्रुटि पता चली। उद्यम ने सितम्बर (Y-Z) के महीने हेतु विवरणी 20 अक्टूबर, (Y-Z) को जमा की। इस स्थिति में, नवम्बर, (X-Y) में लेन-देन से सम्बन्धित त्रुटि का सुधार 15 अगस्त, (Y-Z) के पश्चात् नहीं किया जा सकता।

यह ध्यान रखा जाए कि धारा 37(3) (GSTR-1) में संशोधन करते समय 'देय तिथि' का भाव अनुपस्थित है। अतः वह तिथि जमा करने की सही तिथि मानी जाएगी तथा देय तिथि नहीं।

- ★ GSTR-1 जमा करने की आवश्यकता है भले ही कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि (शून्य विवरणी) न हुई हो।
- ★ GSTIN में ऐच्छिक निस्तारण हेतु चुनाव करने वाले करदाता को GSTR-1 क्रियाशील अवधि हेतु जमा करनी होगी।
- ★ उन स्थितियों में जहाँ एक करदाता एक सामान्य करदाता से संघटित करदाता में परिवर्तित होता है, GSTR-1 सिर्फ उस अवधि हेतु जमा करने के लिए उपलब्ध होगी जिसके दौरान करदाता सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत हो। कथित अवधि हेतु GSTR-1, भले ही देरी से जमा हुई हो, परिवर्तन से पूर्व अवधि हेतु चालानों को स्वीकृत करेगी।

करदाताओं द्वारा GST को परेशानी अनुपालन के लिए क्या सावधानियाँ रखनी हैं? (What are the precautions that a taxpayer is required to take for a hassle free compliance under GST ?


GST में सबसे जरूरी काम अगले माह की 10 तारीख तक GSTR-1 में बाहरी आपूर्तियों की समय से जानकारियाँ देना है। यह कितने अच्छे से सुनिश्चित हो यह करदाता द्वारा जारी B2B चालानों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि संख्या कम है तो करदाता द्वारा सभी जानकारी एक बाद में ही दे दी जाएगी। हालाँकि, यदि चालानों की संख्या ज्यादा है तो चालानों (या नामे/जमा पत्रों) को नियमित आधार पर डाला जाना चाहिए।



GST कॉमन पोर्टल वास्तविक समय आधार (real time basis) पर भी नियमित चालानों को डालने की अनुमति देता है। व्यवस्था करदाता को डाले गए चालानों में बदलाव करने की भी अनुमति देती है जब तक की विवरण वास्तविक में प्रस्तुत न कर दिया जाए। अतः नियमित चालानों को डालना करदाताओं के लिए हमेशा लाभदायक होता है। आखिर समय की जल्दी भरती को मुश्किल करती है तथा

नाकामयाबी और चूक की आशंका बढ़ा देती है।

दूसरा विषय जो सुनिश्चित करना है वह यह है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भीतरी आपूर्तियों के चालानों की जमा क्रिया की जाँच करना। यह क्रिया ITC बिना तकलीफ तथा देरी किए प्राप्त करने में सहायक है। प्राप्तिकर्ता आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से चालान डालने को प्रोत्साहित करता है देय तिथि पर या उसके करीब करने के स्थान पर। यह व्यवस्था प्राप्तिकर्ताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे चालानों को देखने की अनुमति प्रदान करता है।



4. धारा 39 के अंतर्गत विवरणियाँ जमा करना (Furnishing of Returns Under Section 39)

(i) GSTR-3बी [CGST नियमों का नियम 61(5)]


धारा 39(1) फॉर्म GSTR-3 में मासिक विवरण को निर्धारित करता है हर पंजीकृत व्यक्ति के लिए जो इनपुट सेवा वितरण (input service distributor) या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (non-resident taxable person) या संयोजन करदाता (composition tax payer), सूत्र में कर काटने वाला व्यक्ति (person deducting tax at source), इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य चालक (electronic commerce operator) तथा OIDAR सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को छोड़कर। GSTR-3 उपयुक्त उत्तरगामी पंचांग मास (succeeding relevant calendar month) या उसके भाग की 20 तारीख को भरा जाएगा। **हालाँकि, GST समिति द्वारा GSTR-3 की भरती सितम्बर 2019 तक विलम्बित कर दी गई है।**



वर्तमान में, फॉर्म GSTR-3बी का विवरण GSTR-3 भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस समय GSTR-3बी की प्रस्तुत देय तिथि उपयुक्त उत्तरगामी मास की 20 तारीख अधिसूचित की गई है।

GSTR-3बी एक आसान विवरण है जिसमें बाहरी आपूर्तियों, रिवर्स चार्ज आधीन भीतरी आपूर्तियों, योग्य ITC, कर भुगतान आदि की जानकारियों का सार सम्मिलित है।

GSTR-3बी का विस्तृत सारांश चित्र द्वारा अगले पृष्ठ में दिया गया है।



(ii) **GSTR-4** : कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता तथा अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) दिनांक 07.03.2019 के तहत कर का भुगतान करने के लिए विवरणी (Returns) [धारा 39(2) धारा 148 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 21/2019 दिनांक 23/04/2019 तथा CGST नियम के नियम 62 के साथ पढ़ें]।

(a) व्यक्ति विवरणी, आवधिकता और विवरणी का फॉर्म दाखिल करने के पात्र हैं।

निम्नलिखित व्यक्तियों को फॉर्म GSTR-4 में वार्षिक विवरणी दाखिल करना आवश्यक है :

- ❑ प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 के तहत कर का भुगतान करता है। वह कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता : तथा
- ❑ अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) दिनांक 7.3.2019 का लाभ उठाकर कर का भुगतान करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति⁴




किसी वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए GSTR-4 को आम पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या एक अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

स्व. निर्धारण कर के भुगतान के लिए त्रैमासिक विवरण : GSTR-4 दाखिल करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों को भी प्रत्येक तिमाही (या तिमाही के भाग) के लिए स्व:निर्धारित कर के भुगतान का विवरण ऐसी तिमाही के उत्तरगामी माह की 18 वें दिन का प्रस्तुत करना आवश्यक है।


जबकि एक रचना आपूर्तिकर्ता और अधिसूचना संख्या 2/2019 सीटी (आर) के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति वापसी जीएसटीआर-4 को सालाना दाखिल करने के लिए आवश्यक है, उन्हें कर का भुगतान तिमाही में करना होगा।

(b) GSRT-4 दाखिल करने की देय तिथि तथा स्व:निर्धारण कर का विवरण एक वित्तीय वर्ष के लिए GSTR-4 को उत्तरगामी वित्तीयवर्ष की 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।




GSTCMP – 08 (स्व निर्धारण कर के भुगतान के लिए त्रैमासिक विवरण) को ऐसी तिमाही के उत्तरगामी माह की 18 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।


⁴ अधिसूचना संख्या 2/2019CT(R) दिनांक 07.03.2019 के अन्तर्गत कर की एक रियायती दर @6% है। इस अधिसूचना से सम्बन्धित प्रावधान अध्याय 3 : GST के प्रभार में विस्तृत है।



- (c) आवक आपूर्तियों की स्वतः प्रदर्शन (Auto-Population of Inward supplies)
कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता/व्यक्ति जो अधिसूचना 2/2019 CT (R) के तहत कर भुगतान कर रहा हो, को GSTR-1 दायित्व करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवक आपूर्तियों देखने के लिए फॉर्म GSTR-4A में स्वतः प्रदर्शित होंगी।
- (d) GSTR-4 की विषय वस्तु (Contents of GSTR -4)
GSTR-4 की व्यापक विषय-वस्तु नीचे दी गई है :



- **जावक पूर्तियों के समेकित विवरण**
संघटित करदाता तथा व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं न तो किसी ITC हेतु और न ही अपने ग्राहकों पर लगने वाले संघटन के किसी जमा को हस्तांतरित करने पर अधिकृत होते हैं। (पंजीकृत/अपंजीकृत) इसलिए संघटित करदाताओं तथा व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं को GSTR-4 में जावक पूर्तियों के समेकित विवरणों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है और न कि जावक पूर्तियों के चालान-भाँति विवरण।
- **कर दायित्व**
हालांकि एक संघटित विक्रेता तथा व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं। ITC लेने हेतु योग्य नहीं होता है। वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के नामे करने के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करेगा।
- (e) **कम्पोजीशन योजना चुनने से पहले की अवधि के लिए विवरण/रिटर्न**
यदि एक पंजीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ से कम्पोजीशन योजना/अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के अन्तर्गत कर का भुगतान करना चुनता है, वह जहाँ आवश्यक है, कम्पोजीशन योजना/अधिसूचना संख्या 2/2019 CT (R) के तहत कर भुगतान से पहले की अवधि से सम्बन्धित विवरण/रिटर्न प्रस्तुत करें—
- ✍ उत्तरगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि; या
 - ✍ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना; जो भी पहले हो।
- कम्पोजीशन आपूर्तिकर्ता/व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के तहत कर का भुगतान कर रहा है। कम्पोजीशन योजना/अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के तहत कर का भुगतान करने की अपनी अवधि से पहले आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बीजक तथा डेबिट नोट की ITC का लाभ उठाने के योग्य नहीं है।
- (f) **कम्पोजीशन योजना से बाहर निकलने से पहले की अवधि के लिए GSTR-4**
कम्पोजीशन स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति या जहाँ उचित अधिकारी के उदाहरण पर विकल्प वापस ले लिया जाता है और एक पंजीकृत व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 CT(R) के तहत कर का भुगतान करना बन्द कर देता है। जहाँ आवश्यक है, प्रस्तुत करें :



ऊपर दिए गए बिन्दुओं (e) और (f) में वर्णित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिये गये चित्र के माध्यम से समझाया गया है।

- ★ धारा 29 (2) के अनुसार, एक उचित अधिकारी को एक कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया जाता है : यदि अन्य विषय में :
- कम्पोजीशन योजना के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने लगातार 3 कर अवधि के लिए अपने GSTR-4 को प्रस्तुत नहीं किया है।
 - किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति ने 6 माह की लगातार अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।